

भा. खा. नि. के केंद्रीय पूल भंडारों से बांग्लादेश को चावल और गेहूं के निर्यात हेतु निविदा सं.
पीईसी/एग्रो/टेंडर/2010-11/01/चावल और गेहूं दिनांक 8 सितंबर, 2010

क) **निविदा निबंधन के विषय में संशोधन:** अनुच्छेद 4(छ) निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

- पैरा-1:- तिथि "17.09.2010" को "24.09.2010" के रूप में पढ़ें।
- पैरा-2:- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर, 2010 (सोमवार) 15.00 बजे (भारतीय समय अनुसार) तक के रूप में संशोधित की गई है।
- पैरा-4:- निविदा पीईसी के लिए 27 सितंबर, 2010 (सोमवार) को 17.00 बजे(भा. स. अनुसार) खोली जाएगी।
- पैरा-6:- पीईसी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की वैधता एक माह के लिए अर्थात् 27.10.2010 बुधवार को 17.30 बजे भा. स. अनुसार होनी चाहिए जिसमें विफल रहने पर निविदा अवैध समझी जायेगी।

निविदा के अन्य निबंधन एवं शर्तें एतद्वारा अपरिवर्तित हैं।

ख) **स्पष्टीकरण:-** भविष्यलक्षी बोलीदाता(ओं) से प्राप्त विभिन्न प्रासंगिक प्रश्नों के संदर्भ में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण ध्यानार्थ प्रस्तुत किए गए हैं:-

- ईएमडी उक्त निविदा के क्लॉज नं. अनुच्छेद 3 (IV) के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। सावधि जमा स्वीकार्य नहीं है।
- गेहूं तथा गैर-बासमती सेला चावल के लिए किफायती मूल्य वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वैध होगा। तथापि, निविदा निबंधन क्लॉज. नं. अनुच्छेद - 1(घ) के अनुसार, माल की सुपुर्दगी अधिनिर्णय पत्र जारी किए जाने के 4 माह के भीतर करनी होगी।
- चार्टर पक्ष सीधे सफल ब बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। तथापि, यदि इच्छा प्रकट की गई, पीईसी सफल बोलीदाता से भाड़े की रकम की समतुल्य राशि भारतीय रुपयों में प्राप्त होने के पश्चात्, सफल बोलीदाता के प्राधिकार पर, शिपिंग कंपनी को भाड़े का भुगतान कर देगी।
- सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, पीईसी द्वारा, सफल बोलीदाता की लागत, जोखिम तथा लाभ/हानि पर, अग्रिम बीमा (फारवर्ड कवर) लिया जाएगा।